

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.03.2014 के अनुपालन में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं के फलस्वरूप कैम्पों में प्रवासी परिवारों के 05 साल से नीचे के 12 मृत बच्चों के माताओं/परिवार को रू0 2.00 लाख रू0 की दर से करने हेतु धनराशि अंकन 24,00,000/-रू0

क्र0 स0	मृत बच्चों का नाम	मृत बच्चों के माता/ पिता का नाम	पता	देय धनराशि रू0 में
1	अनस पुत्र युनुस, आयु 04 वर्ष	युनुस पुत्र सद्दीक	फुगाना	2,00,000.00
2	शहबाज पुत्र माजिद आयु 03 दिन	माजिद पुत्र अनवर	फुगाना	2,00,000.00
3	आतिका पुत्री इनाम पति शबनम आयु 02 वर्ष	श्रीमति शबनम पति इनाम	फुगाना	2,00,000.00
4	अनस पुत्र गुलजार आयु 04 वर्ष	गुलजार पुत्र कालू	फुगाना	2,00,000.00
5	छोटू उर्फ अरमान पुत्र मांगा आयु 03 दिन	छोटू पुत्र मांगा	खरड	2,00,000.00
6	छोटू पुत्र आजाद आयु 01 दिन	आजाद पुत्र शाहिद	फुगाना	2,00,000.00
7	फरदीन पुत्र याकूब, आयु 02 दिन	याकूब पुत्र यामीन	फुगाना	2,00,000.00
8	सुफियान पुत्र शाकिर आयु 09 माह	श्रीमती साबरा पत्नी शाकिर	फुगाना	2,00,000.00
9	इकरा पुत्री इन्तजार आयु 01 माह	श्रीमती मानो पत्नी इन्तजार	दाहा (बागपत)	2,00,000.00
10	ताहिरा पत्नी दिलशाद आयु 01 दिन	ताहिरा पत्नी दिलशाद	बिटावदा	2,00,000.00
11	गुलशाना पुत्री शहजाद, नवजात	शहजाद	करौदा महाजन	2,00,000.00
12	नजराना पुत्री कामिल आयु 08 दिन	कामिल	ग्राम काकडा	2,00,000.00
			योग	24,00,000.00